

कार्यालय,

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

(उत्तर प्रदेश राज्य)

संख्या: प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/120900001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय तार:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञप्ति, दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3018-CH.SUGHAR SINGH PHARMACY COLLEGE			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०आई० वी०टी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 311/16-3099/0-2022 टॉपसी-1 दिनांक 10 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघालित संस्थाओं की ओर से विद्यमान मन्त्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आया। संख्या 5027/2023 में मन्त्रीय व्यवस्था के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता समिति की उत्पत्ति है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के अनुसूचित संस्थान में संस्था समावेश (भूमि, भवन, लैब उपकरण, आदि) उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमावली-2008, संशोधन विनियमवली-2016 तथा संशोधन एवं संशोधन विनियमवली का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्ष के लिये किया जायेगा। एम्प्लॉय के अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त संस्था पर लागू हुए निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धों का समावेश होगा, और तदनुसार आगामी शिक्षण वर्ष आरम्भ होगा। प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया जाता है, जो प्रवेश की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही व्यवस्था किया जायेगा।
- ✓ संस्था को संस्था/संस्था पर निर्मित सम्बन्धों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा किये गये शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संस्कृत प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय स्तरों की शिक्षा परिषद/पत्रों की कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्थान उत्तरदायित्व संभाले जा होगा और विधिक कार्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र पत्रों को ही प्राप्त करके किया जाता है तथा द्वारा बाद के संबंध में सा. सहायक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंदेश निमित्त किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को संस्कृत प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अखिल प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यसूची प्राप्त होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तरों की शिक्षा परिषद/पत्रों की कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा आयोजित की उपलब्ध कराया होगा अन्यथा अपने प्रदेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु संस्था/संस्था पर किये गये नियमों और अनुमोदन प्राप्त बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के पुनर्गठन पोर्टल पर संस्था को संस्था मुख्यालय जैसे संस्था को ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, आवा, साह-सका, उपकरण, प्राप्त किया करने वाला सुझाव, आवाधान सुझाव अदि जा विज्ञापन उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु अनुमोदन अंतरिम उपलब्ध कराते के साथ होगा, यो करने के संस्थान में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्येक वर्ष अखिल प्रदेश स्तरों को करने वाले हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध कराते गये (प्रशिक्षण, भूमि, भवन, पार्किंग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था सुझाव किसी अन्य परियोजना के अंतर्गत में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से उत्तरदायी होने के कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को संबद्धता संस्था किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का समर्थन किया जाता, विभिन्न वर्षों, 2000 के प्राथमिक शिक्षा परिषद की संस्था पर अपने कार्यवाही, भवन और पार्किंग की परीक्षा की परीक्षा के अंतर्गत के लिए परीक्षा के अखिल में स्थानीय।
- ✓ संस्था के अखिल भारतीय परीक्षा के दौरान यदि संस्था में भूमि भवन प्रयोगात्मक उपकरण एवं अन्य साह-सका 10.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50. परीक्षा के अंतर्गत संस्था उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को संबद्धता संस्था कर ही जायेगी।
- ✓ संबद्धता स्वीकार अनुमोदन में किये जाने अखिल स्तरों का अंतर्गत किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमोदन/संस्था कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राथमिक/परीषद संख्या/2023/12090002-12091250

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठित-

प्रधानाचार्य/निदेशक, CH. SUGAR SINGH PHARMACY COLLEGE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ब्रापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिफिक सत्र 2021-22 हेतु विदर्भा स्तर पर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पुर्व से संघालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान विषये उल्लेख निम्न किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3018-CH.SUGHAR SINGH PHARMACY COLLEGE RAIL MANDI JASWANTNAGAR ETAWAH 200245			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम :	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा वृत्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित- वृत्त/लीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22500,00/- प्रतिवर्ष वृत्त ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से वृत्त के सम्बन्ध में समय-समय पर ज्ञापन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सल्लानुदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आसनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को पी०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ द्वितीयः इन काममें पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दाव्य वापर किया जाता है तथा वापर दाव्य के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ द्वितीयः इन काममें पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश कब्रनरू द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आबोखिर प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कायांतरण की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुयातन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साउ-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, इलाकास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ वैरिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संवाहित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अश्लेषः भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवातन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साउ-सजा पी०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता चर्च का अनुयातन न किये जाने अथवा चर्च का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुयातनअथवा कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०: प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, CH. SUGHAR SINGH PHARMACY COLLEGE RAIL MANDI
JASWANTNAGAR, ETAWAH-208245



(सुनील कुमार सोनकर)

